दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 18/2017

विषयः वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू करना ।

यह परिपत्र वित्त एवं व्यय संख्या परिपत्र 11/2017 और 13/2017 अनुक्रम में है । वस्तु एवं सेवा कर देश में 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया, जिससे संपूर्ण देश एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अंतर्गत आ गया । वस्तु एवं सेवा कर, दि.वि.प्रा. में भी 01 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है । मैसर्स एस. के. मेहता एवं कंपनी कर परामर्शदाता के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित बिंदुओं/मामलों में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर/रिवर्स प्रभार के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर लिया है :–

(1) प्रतिधारण/व्यावसायिक/परामर्श शुल्क

दि.वि.प्रा. ने परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है और उन्हें मासिक आधार पर प्रतिधारण/व्यावसायिक/परामर्श शुल्क का भुगतान किया जा रहा है । वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत वे सभी सेवा प्रदाता हैं और इस प्रकार दि.वि.प्रा. को उन्हें मासिक आधार पर किए गए भुगतान पर वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत 18% की दर से भारत सरकार को रिवर्स प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

(2) व्यावसायिक अचल संपत्तियों पर लाईसेंस शुल्क आय

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में दी गई परिभाषा के अनुसार, ''सेवा'' का अर्थ वस्तुओं, धन और प्रतिभूतियों से इतर है, और इस प्रकार ''किराएदारी और अचल संपत्ति सेवाएं (लाइसेंस शुल्क)'' के लिए वस्तु एवं सेवाकर के लिए दि.वि.प्रा. को बीजक (इनवॉइस) पर 18% की दर से दो भागों अर्थात् 9% की दर से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा 9% की दर से राज्य वस्तु एवं सेवा कर में वस्तु एवं सेवा कर वसूल करना अपेक्षित होगा ।

(3) भू–भाटक

भू–भाटक पर सेवा कर को लागू करना पहले ही न्यायाधीन मामला है । अतः फिलहाल कोई वस्तु एवं सेवा कर लागू **नहीं** है ।

ये आदेश उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं ।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखाधिकारी

सं. एफ.ई.5(17)2017/डी.डी.ए./389 **दिनांक : 17.08.2017**

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के सूचनार्थ ;
2. प्रधान आयुक्त (समन्वय) को इस अनुरोध सहित कि कृपया वे वस्तु एवं सेवा कर के अनुपालन को सुनिश्चित करें ।
3. प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान)/प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भू–दृश्य);
4. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता (मुख्यालय);
5. आयुक्त एवं सचिव/आयुक्त (खेल);
6. मुख्य विधि सलाहकार;
7. वित्त सलाहकार (आवास)/निदेशक/भूमि लागत निर्धारण/वर्क्स/लेखा–परीक्षा/नजारत/वित्त;
8. जी.एस.टी. सुविधा केंद्र के सभी सदस्य;
9. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी/उप वित्त सलाहकार (आवास)–I एवं II ;
10. सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केंद्रीय लेखा इकाई (खेल)/वेतन एवं लेखा अधिकारी (ई.डब्ल्यू.)/लेखा अधिकारी (प्रारंभिक अनुमान)/वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आकस्मिक);
11. मैसर्स एस. के. मेहता एंड कम्पनी, कर परामर्शदाता;
12. गार्ड फाइल ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)